भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 466

जिसका उत्तर 03 दिसंबर, 2025 को दिया जाना है ।

12 अग्रहायण, 1947 (शक)

भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड

466. श्री प्रवीण पटेल:
श्रीमती कमलजीत सहरावत:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम के सभी नियमों और विनियमों को पूर्ण रूप से लागू करने के वर्तमान समय-सीमा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा किस प्रकार भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की जा रही है और अनुपालन नहीं किए जाने पर दंड लगाने के लिए इसका तंत्र क्या है;

(ग) क्या डीपीडीपी अधिनियम का अनुपालन करने के लिए लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक सरलीकृत ढांचा तैयार किया गया है;

(घ) सरकार सीमा पार से आंकड़ों के अंतरण के अनुपालन तंत्र के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ किस प्रकार समन्वय कर रही है; और

(ङ) सरकार द्वारा डीपीडीपी अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों को उनके नए डिजिटल अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ङ):** डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी अधिनियम), और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 को दिनांक 13 नवंबर 2025 को अधिसूचित किया गया है। इनमें प्रासंगिक प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए एक समयसीमा प्रदान की जाती है। नियमों के प्रावधान के अनुसार, डिजिटल डेटा संरक्षण बोर्ड को अधिसूचित किया गया है।

अधिनियम और नियमों में स्टार्ट-अप और कुछ डेटा न्यासियों के लिए एक सरलीकृत अनुपालन ढाँचे का प्रावधान किया गया है।

अधिनियम और नियमों में सरकार को उन न्यायनिर्णयों को अधिसूचित करने का प्रावधान किया गया है जहां व्यक्तिगत डेटा के हस्तांतरण को प्रतिबंधित किया जा सकता है।

सरकार नागरिकों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करके डीपीडीपी अधिनियम के बारे में व्यापक जागरूकता फैला रही है और उसे अपनाना भी सुनिश्चित कर रही है। कार्यशालाओं, सम्मेलनों, विशेषज्ञ सत्रों और डिजिटल आउटरीच अभियानों सहित क्षमता निर्माण पहलें भी की जा रही है।

*****